न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 36/2018

रामरतन पुत्र पोलाराम जाति बिश्नोई निवासी 71 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. दलीप
2. रामधन
3. भागीरथ
4. बंशीलाल

पिसरान रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

5. रामस्नेही पुत्री रामनारायण पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 23 के.वाई.डी. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
6. इमला पुत्री रामनारायण पत्नी रामरतन जाति बिश्नोई निवासी 2 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. मालती पुत्री रामनारायण पत्नी कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. शिमला पुत्री रामनारायण पत्नी देवीलाल जाति बिश्नोई निवासी 4 के.डी. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
9. स्टेट आफ राजस्थान।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पदमपुर दिनांक 23.03.2018

उपस्थितिः–

श्री सुभाष मिढा, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पों. सं. 4

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 09.07.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील पदमपुर द्वारा जारी सनद दिनांक 22.03.2018 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा रामनारायण पुत्र टाकरराम के नाम से चक 80 एल.एन.पी. के मु.नं. 29 की 6.200है0 भूमि की सनद जारी की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है जो पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट से साबित है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। इसके अलावा विवादित भूमि के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में अपीलांट द्वारा वाद पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। विवादित भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में पिछले 40 वर्षों से चली आ रही है। अपीलांट एवं रामनारायण द्वारा आपस में भूमि का तबादला किया हुआ है। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रकिया अपनाये बिना एवं अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.टी. 2003(1) पेज 543, 547 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है। विवादित भूमि रामनारायण की है एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ही उसे खातेदारी दी गई है। अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अधी. न्यायालय ने सनद जारी करने में कोई विधिक भूल नही की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किय तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट की सत्यप्रति का अवलोकन किया गया जिसका संदर्भ अंश है कि रिपोर्ट पटवारी अनुसार मौका पर रामरतन पुत्र पोलाराम का कब्जा है। इसके अलावा पत्रावली पर उपलब्ध दैनिक डायरी दिनांक 08.08.2017 में विवादित भूमि के सम्बन्ध में यह अंकित है कि उक्त भूमि रामनारायण पुत्र ठाकरराम जाति बिश्नोई गैर खातेदार रिकार्ड दर्ज है मौके पर उपस्थित मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि मु.नं. 29 पर रामरतन पुत्र पोला जाति बिश्नोई काश्त कर रहा है। मौके पर रामरतन पुत्र पोलाराम से पूछने पर बताया कि 40 वर्षों से मौके पर काबिज मैं ही हूँ। सनद जारी करने से पूर्व अधी. न्यायालय द्वारा कब्जा की रिपोर्ट मांगी गई जिससे प्रमाणित रूप से कब्जा अपीलांट का होना साबित एवं प्रमाणित है। अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुना नहीं गया के अलावा अपीलांट द्वारा अपने हक एवं हकूकों की घोषणा करवाने के लिए अधी. न्यायालय में वाद दायर होना जाहिर किया जिसका रेस्पों. द्वारा specific denial नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2018 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर